कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/ सी.भ./व0अ0–विशेष शिक्षा/सभी विषय/2015/ दिनांक 15/02/19

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा–––––––––

विषय :– राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (विशेष शिक्षा)–**सभी विषय** भर्ती परीक्षा 2015 के पद पर चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(10) परीक्षा/व0अ0/विशेष शिक्षा(सभी विषय) 2015–16/7612 दिनांक 15.01.2019 के क्रम में द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (विशेष शिक्षा)–**सभी विषय** (गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान) भर्ती परीक्षा 2015 में **विभिन्न** विषय के वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार अभिस्तावित किये गये चयनित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन कर मूल आवेदन पत्र संलग्न कर लेख है कि **जिन अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन कर नियुक्ति हेतु आपको सुपूर्द किया जा रहा है, उनके पदस्थापन आदेश** राज्य सरकार के पत्रांक प.17(6)शिक्षा–2/2015 जयपुर दिनांक 13.02.2019 **(प्रति सलंग्न)** में अंकित बिन्दू संख्या 02(ए से जी) में अंकित शर्तो के अनुसार **काउसंलिग का आयोजन दिनांक 21.02.2019 को किया जाकर काउसंलिग के दिन ही अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किए जावें।**

विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2019 के अनुसार निर्धारित की जाने वाली रिक्तियों की सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बिन्दू संख्या 02(ए से डी) के अनुसार दिनांक 19.02.2019 को एवं पदस्थापन आदेश काउंसलिग के दिन दिनांक 21.02.2019 को जारी कर इस कार्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग की ईमेल आईडी compsecedu@gmail.com पर उक्तानुसार निर्धारित तिथि को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। नियुक्ति आदेश निम्नांकित शर्तो को ध्यान में रखते हुए जारी करावें:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें। आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं अभ्यर्थी की विगत (सही details where about) की सही जांच कर आदेश जारी किये जावे। संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावें।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्व घोषणा पत्र।
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।

www.rajteachers.com

7. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/ प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
8. आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-

(I) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(II) अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।**

(III) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)-सभी विषय (गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान) की परीक्षा का आयोजन दिनांक 07.02.2018 (जी.के.) से 10.02.2018 (ऐच्छिक विषय) को किया गया। अतः यदि किसी भी अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक (यथा स्नात्तक/बी.एड./एडिशनल) योग्यता परीक्षा तिथि के पश्चात् की है, तो ऐसे अभ्यर्थी को काउसंलिग/नियुक्ति/कार्यग्रहण न करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को लौटाने की व्यवस्था करावें।

9. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों से विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से पिता के नाम से ही जारी किया हुआ होना चाहिए, इसके अभाव में कार्यग्रहण नही करवाया जावें।
10. अनावश्यक लाभ को रोकने के लिए नियुक्ति पत्र पर अभ्यर्थी का फोटो स्केन कर नियुक्ति पत्र जारी किया जावे, नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थी का स्केन किया हुआ फोटो भी लगाया जावें ताकि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करें, यह सुनिश्चित हो सके।
11. आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियो के वर्ग इत्यादि में यदि अन्तर पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन-पत्र सूची के निदेशालय को भिजवाये ताकि आयोग कार्यालय को भिजवाकर प्रकरण की आयोग स्तर पर जांच की जा सकें।

www.rajteachers.com

12. नियुक्ति अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों से जांच की जानी आवश्यक है एवं जांच में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करे ताकि आयोग कार्यालय को लौटाया जा सकें।
13. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/–रू. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रैनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ती भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रैनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
17. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्है कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक –एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
18. वित विभाग के आदेश क्रमांक –एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
19. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावें कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के संमुख दर्शाया गया है।
20. संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि/स्थाई पते में सहवन से कोई त्रूटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरूस्त करें।
21. आयोग द्वारा चयनित कतिपय अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंकित विशेष वर्ग (विकलांग/विधवा/परित्यक्ता) का उल्लेख नहीं होने पर आप ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें मण्डल स्तर पर काउसलिंग हेतु तैयार की गई वरीयता में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2019 के बिन्दू संख्या–बी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
22. इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(6)शिक्षा–2/2015 जयपुर दिनांक 13.02.2019 (प्रति सलंग्न) में अंकित बिन्दू संख्या–2(ए से जी) के अनुसार परामर्श शिविर आयोजित कर की जावें।
23. **चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2015 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2364/2016 रतनलाल पलसानिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व 23 अन्य याचिकाओं तथा दायर अन्य विभिन्न याचिकाओं एवं डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1884/2016 श्री अनिल कुमार भारद्वाज व अन्य बनाम सरकार तथा 23883/2018 फूलचन्द गौतम व अन्य बनाम सरकार व अन्य के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगे।**
24. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM, एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जावें। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।

www.rajteachers.com

अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जावें। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।

25. सहरिया जाति की निर्धारित रिक्तयों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों (TSHM एवं TSHF) को बारां जिले में ही पदस्थापित किया जावें।
26. कार्यग्रहण करने पर इनके कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय की मेल आईडी ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर सूचीबद्ध रूप से तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था की जावें।
27. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
28. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
29. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक 02.03.2019 निर्धारित की जावें एवं सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावें।
30. Counseling Camp (परामर्श शिविर) में उपस्थित अभ्यर्थी द्वारा काउसंलिग हेतु प्रदर्शित रिक्तियों में से चयनित रिक्त स्थान एवं परामर्श शिविर में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का पदस्थापन भी इन्हीं प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर विभागीय वेबसाईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जावे तथा नियुक्ति आदेश की प्रति पृथक से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी के स्थाई पते पर भिजवाई जावें।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन के आदेश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालयों से पदस्थापन हेतु प्राप्त वरीयता सूची, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे। यदि किसी अधीनस्थ कार्यालय से वरीयता सूची, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां पत्र में अंकित निर्धारित कार्यक्रमानुसार अप्राप्त रहती है तो संबंधित अनुभागाधिकारी को अविलम्ब अवगत करावें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय के संबंधित संस्थापन कार्मिक को दिनांक 18.02.2019 तक निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के कमरा नम्बर 11 में उपस्थित होकर अपने संभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र लिए जाने हेतु अनिवार्य रूप से पाबन्द करावें।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

वरिष्ठ अध्यापक(विशेष शिक्ष) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2015 के चयनित एवं अभिरस्तावित अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन की सूची

दिनांक 15.02.2019

क्र. स.	रोल नम्बर	मेरिट संख्या	विषय	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्म दिनांक	चयन वर्ग	वि. वि.	विकल्प पत्र की प्राथमिकता अनुसार आवंटित मण्डल
1	101680	3	ENGLISH	SANDEEP GARG	TRILOK CHAND	वार्ड नं. 06, बाबा रामदेव मन्दिर रोड़, सुरतगढ, जिला श्रीगंगानगर	9/10/1987	GENM		BIKANER
2	100644	14	ENGLISH	HEMRAJ CHOUDHARY	RATAN LAL CHOUDHARY	ग्रा.पो. देहलोड़, तहसील निवाई, जिला टोंक	8/14/1990	GENM		AJMER
3	104649	16	ENGLISH	ROHTAS KUMAR	GHERU RAM	वार्ड नं. 06, ग्राम पंचायत सुरावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ	1/19/1990	GENM		BIKANER
4	101027	24	ENGLISH	SATISH KUMAR	RAJENDER	चक 17 एमएल, पठानवाला, पोस्ट 11 एलएनपी, ख्यालीवाला, जिला श्रीगंगानगर	12/12/1992	GENM		BIKANER
5	100605	26	ENGLISH	NARENDRA KUMAR BAJYA	PRABHU DAYAL BAJYA	ग्रा.पो. सरगौठ, ढाणी बाजियावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर	5/2/1991	GENM		JAIPUR
6	104756	34	ENGLISH	ARCHNA VISHVAKARMA	JAGDISH PRASAD	डुमोली खुर्द, वार्ड नं. 03, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं	1/10/1984	OBCM	BL	AJMER
7	102716	1	HINDI	PUSHPRAJ SINGH CHUNDAWAT	MAN SINGH CHUNDAWAT	मु.पो थड़ा, तह. सलूम्बर, जिला उदयपुर	2/23/1990	GENM		UDAIPUR
8	102677	3	HINDI	VINOD KUMAR	OM PRAKASH SIHAG	वार्ड नं. 07, गोलूवाला सिहागान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ	4/3/1984	GENM		BIKANER
9	102250	8	HINDI	SARITA KUMARI	RAM SINGH NAIN	ग्रा.पो. लादूसर, वाया धनूरी, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं	7/7/1987	GENM		CHURU
10	104333	12	HINDI	MUKESH KUMAR KEER	JAGDEESH KEER	ग्रा.पो. पांचोलास, तह. व जिला सवाई माधोपुर	11/3/1983	GENM		JAIPUR
11	103435	13	HINDI	SHYAM SUNDAR SHARMA	KAILASH CHAND SHARMA	मु.पो. दौलतपुरा, तह. लालसोट, जिला दौसा	9/19/1982	GENM		JAIPUR
12	104169	15	HINDI	POONAM SHARMA	KAILASH NARAYAN SHARMA	प्लांट नं. 29–119, कुसुम विहार, गली नं. 10, रामनगरिया रोड़, जगतपुरा, जिला जयपुर	12/4/1979	GENM		JAIPUR
13	102270	16	HINDI	ANITA KUMARI	GIRRAJ PRAJAPAT	ग्राम गुजूकी, पोस्ट भजीट, जिला व तह. अलवर	7/4/1991	GENM		JAIPUR
14	102124	17	HINDI	ASHA KUMARI JAT	BODU RAM JAT	वार्ड नं. 03, प्रधान की ढाणी, गौतम नगर, गांव रामपुरा, तह. शाहपुरा जिला जयपुर	5/15/1988	GENM		CHURU
15	103267	21	HINDI	JETHA RAM	GEPAR RAM	गांव देवरिया, पोस्ट नागाना, तह. पचपदरा, जिला बाड़मेर	1/3/1982	GENM		JODHPUR
16	103546	24	HINDI	GOPAL SINGH SHEKHAWAT	HARI SINGH SHEKHAWAT	ग्राम बासडी गणेशपुरा, पोस्ट छापुडा कला, तह. शाहपुरा, जिला जयपुर	7/4/1989	GENM		CHURU
17	101387	27	HINDI	KUSUM	KESHV PRASAD	ग्रा.पो. अनन्तपुरा, तह. बहरोड़, जिलपा अलवर	6/2/1984	SCM	BL	AJMER
18	101827	2	MATHE MATICS	ROBITA	KAILASH CHAND	ग्राम–बिरसंगवास, तहसील – मुण्डावर, जिला अलवर	9/21/1992	GENM		JAIPUR

www.rajteachers.com

वरिष्ठ अध्यापक(विशेष शिक्ष) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2015 के चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन की सूची

दिनांक 1502.2019

क्र. स.	रोल नम्बर	मेरिट संख्या	विषय	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्म दिनांक	चयन वर्ग	वि. वि.	विकल्प पत्र की प्राथमिकता अनुसार आवंटित मण्डल
19	101631	4	MATHE MATICS	RAM AVTAR KHOKHAR	LADU RAM	खोखरों की ढाणी, मेडता सिटी सड़क गोटन, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर	5/4/1994	GENM		AJMER
20	103442	7	MATHE MATICS	JYOTI	BALWANT SINGH	ग्रा.पो. रूपावास, जिला सिरसा, तहसील नाथुसरी चोहरा, हरियाणा	2/27/1995	GENM		BIKANER
21	106800	18	MATHE MATICS	SANDEEP KUMAR PANDEY	RAM KALAP PANDEY	ग्राम रामापुर, पोस्ट पीलखावा, थाना रौनाही, तहसील सोहावल, जिला फैजाबाद उत्तरप्रदेश	10/2/1993	GENM		JAIPUR
22	103029	3	SANSKRIT	SATYADEV	LEKH RAJ	ग्रा.पो. सिनसिनी, तहसील डीग, जिला भरतपुर	5/28/1982	GENM		BHARATPUR
23	101341	9	SANSKRIT	SUNIL KUMAR	AMILAL	ग्रा.पो. डूमरोली, तहसील नीमराना, जिला अलवर	7/13/1985	GENM		JAIPUR
24	101430	10	SANSKRIT	AMIT KUMAR PAREEK	MAHAVEER PRASAD PAREEK	ग्रा.पो. नानेर, वाया डिग्गी, तहसील पीपलू, जिला टोंक	8/8/1986	GENM		AJMER
25	101624	13	SANSKRIT	VIJETA KUMARI	SHRI CHAND	ग्राम पाटन, पोस्ट नागल सालिया, तहसील कोटकासिक, जिला अलवर	7/16/1984	GENM		JAIPUR
26	103273	14	SANSKRIT	RAKESH KUMAR	NAVALKISHOR SHARMA	गांव नौगापा, पोस्ट पीपला, जिला भरतपुर	1/18/1990	GENM		BHARATPUR
27	100510	5	SCIENCE	SURENDRA KUMAR	HIRARAM	जाटों का बास, ग्रा.पो. रेन्दड़ी, वाया सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली	5/7/1987	GENM		PALI
28	102896	9	SCIENCE	RAJNI LILAD	RAM CHANDER LILAD	बिजलीघर के पास, ग्राम पोस्ट बालखा, तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर	9/8/1991	GENM		JODHPUR
29	102066	10	SCIENCE	KHYATI SINGH	NARESH SINGH PAL	वार्ड नं. 08, गौशाला के पास, पुष्कर बर्फ फेक्ट्री के पास, तारानगर, जिला चुरू	9/8/1992	GENM		JAIPUR
30	105646	12	SCIENCE	GORDHAN SIYOL	SAJAN RAM	सियोलों की ढाणी, गांव मांडियाई खुर्द, पोस्ट मांडियाई कला, तह. तिवंरी, जिला जोधपुर	8/15/1988	GENM		JODHPUR
31	101058	15	SCIENCE	VIKRAM SINGH	GIRDHER SINGH	ग्रम तुसारी, पोस्ट तसई, तह कठुमर, जिला अलवर	7/6/1988	GENM		JAIPUR
32	100920	25	SCIENCE	AMIT GAHNOLIA	JAGDISH PRASAD GAHNOLIA	35–बी, श्रीकल्याण नगर, करतारपुरा, जयपुर	10/6/1985	GENM		JAIPUR
33	103193	31	SCIENCE	MUKUT BIHARI	NARENDRA KUMAR	ग्रा.पो. बेरू, तह. नगर, जिला भरतपुर	9/9/1990	SCM		AJMER
34	106321	34	SCIENCE	SATISH KUMAR GUPTA	RADHEY SHYAM GUPTA	ग्राम कनकपुर, पोस्ट मया बाजार, जिला फैजाबाद(उत्तरप्रदेश)	2/12/1988	GENM	LD	JAIPUR
35	101045	1	SOCIAL SCIENCE	NARENDER KUMAR	BRIJ LAL	वार्ड नं. 07, गोलूवाला सिहागान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़	10/10/1988	GENM		BIKANER
36	102171	3	SOCIAL SCIENCE	NARENDRA GENAN	MOHANRAM GENAN	ग्रा.पो. सालवा कला, वाया बनाड़, जिला जोधपुर	11/12/1992	GENM		JODHPUR
37	101655	4	SOCIAL SCIENCE	RAMPAL	LADU RAM	ग्रा.पो. दहीकड़ा, वाया बनाड़, जिला जोधपुर	1/1/1994	GENM		JODHPUR

www.rajteachers.com

वरिष्ठ अध्यापक(विशेष शिक्षा) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2015 के चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन की सूची

दिनांक 15.02.2019

क्र. स.	रोल नम्बर	मेरिट संख्या	विषय	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्म दिनांक	चयन वर्ग	वि. वि.	विकल्प पत्र की प्राथमिकता अनुसार आवंटित मण्डल
38	100605	6	SOCIAL SCIENCE	NARENDRA KUMAR BAJYA	PRABHU DAYAL BAJYA	ग्रा.पो. सरगौठ, ढाणी बाजियावाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर	5/2/1991	GENM		JAIPUR
39	101191	8	SOCIAL SCIENCE	SHIV SHANKAR YADAV	RAM DAYAL YADAV	रैनवाल रोड़, चौमु अण्डरपास, करीरो की ढाणी, वार्ड नं. 03, तहसील चौमु, जिला जयपुर	5/10/1992	GENM		JAIPUR
40	101829	13	SOCIAL SCIENCE	NARENDRA SINGH BHAKAR	SURJAN RAM	प्रमानन्द कॉलोनी, हाउस नं. 25, वार्ड नं. 30, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	10/19/1992	GENM		AJMER
41	101673	16	SOCIAL SCIENCE	BANTI	VIJAY SINGH	वार्ड नं. 14, आदर्श कॉलोनी, सुरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर	2/19/1992	GENM		BIKANER
42	102898	17	SOCIAL SCIENCE	NEERAJ YADAV	NARESH KUMAR YADAV	28, रामनगर कॉलोनी, 60 फिट रोड, प्रभा स्कूल के पास, अलवर	4/25/1991	GENM		JAIPUR
43	101843	21	SOCIAL SCIENCE	RAJENDRA SINGH CHOUDHARY	ROOPA RAM CHOUDHARY	ग्रा.पो. ईशरू, वाया आऊ, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर	2/9/1989	GENM		JODHPUR
44	102716	22	SOCIAL SCIENCE	PUSHPRAJ SINGH CHUNDAWAT	MAN SINGH CHUNDAWAT	मु.पो. थड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर	2/23/1990	GENM		UDAIPUR
45	103358	23	SOCIAL SCIENCE	MUKESH KUMAR	THAKUR SINGH	गांव गुमाना का बास, पोस्ट अजाड़ीकला, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं	12/26/1993	GENM		CHURU
46	100131	28	SOCIAL SCIENCE	RAKESH KUMAR GAUDWAL	PRAKASH CHAND GAUDWAL	रेटा रोड़ एचपी गैस एजेन्सी के पास, कठुमर, जिला अलवर	7/1/1991	SCM		AJMER

(नथमल डिडेल)
I.A.S.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com